न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 —	**तारीख दायर**	**तारीख फैसला**
522 / 2018 / प्रार्थना पत्र	**25.10.2018**	**11.01.2019**

उनवान

1— रामकिशन पिता राजू रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
2— रामकरण पिता राजू रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
3— मु0 कन्या पुत्री राजू रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

1— रामलाल पिता जेठू रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
2— रतन पिता राजू रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
3— नारायण पिता कल्याण रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
4— गोपाल पिता खाना रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
5— लादु पिता नारायण रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां

— विपक्षीगण

6— रामलाल पिता नारायण रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
7— गोपाल पिता नारायण रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
8— केशर पिता नारायण रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
9— मु0 अलोल पुत्री नारायण रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
10— मु0 कमला पुत्री नारायण रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
11— रमेश पिता रामरतन रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
12— सूर्यप्रकाश पिता रामरतन रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
13— मु0 आशा पुत्री रामरतन रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
14— मु0 सुमन पुत्री रामरतन रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
15— मु0 ममता पुत्री रामरतन रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
16— मु0 कविता पुत्री रामरतन रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
17— मु0 लाडदेवी पत्नि रामरतन रेगर निवासी फूलियाकलां तह0फूलियाकलां
18— चन्द्रा पिता कजोड़ रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
19— मु0 धापू पत्नि घीसू रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
20— कैलाश पिता बन्ना रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
21— गोकल पिता मांगु रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
22— रामदेव पिता मांगु रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
23— छीतर पिता राजू रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
24— पूरण पिता मांगु रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां
25— छोटू पिता मांगु रेगर निवासी फूलियाकलां तह0 फूलियाकलां

—— आवश्यक पक्षकारान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री विजय पाराशर : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण एवं सहखातेदारान के संयुक्त खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 568 आराजी कुल किता 14 रकबा 4.95 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात मे से आ0न0 1936 रकबा 0.39 है0, सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 5 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी मे से आ0न0 1936 रकबा 0.39 है0 की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 11.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने सम्मन लेने से इन्कार कर दिया तथा आवश्यक पक्षकारान 6 से 25 ने भी सम्मन लेने से इन्कार कर दिया। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 25 के विरूद्व दिनांक 11.01.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 568 आ0न0 1936 रकबा 0.39 है0, आराजी कुल किता 01 रकबा 1.240.39 है0 के प्रार्थीगण एवं आवश्यक पक्षकारान संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण 1 लगायत 5 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 568 आ0न0 1936 रकबा 0.39 है0, आराजी कुल किता 01 रकबा 0.39 है0 की प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 200/– (अक्षरे दो सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)